FORM NO.|||

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत..उपखण्ड अधिकारी..............................मुकाम..

....बाबूलाल.................... बनाम..............सरकार..

किस्म मु0..मिसल न0..............................44/2025..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
16/9/25	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी बाबूलाल पुत्र बंजरगा ने प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम बाबूलाल पुत्र बंजरगा नि0 बाबूलाल पुत्र बंजरगा नाम दर्ज है। जमांबदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 169,41,43/752,554 में काशतगार का नाम बाबूलाल पुत्र बंजरगा दर्ज है। जिसकी शुध्दि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संम्बधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम बाबूलाल पुत्र बंजरगा के स्थान पर बाबूलाल पुत्र बंजरगलाल नाम दर्ज किया जावे । आज दिनाक ...18/9/25..... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।	